विवाह का प्रकार

मनुस्मृति में विवाह के आठ प्रकार बताये गए है — प्रथम चार विवाह प्रशंसनीय तथा शेष चार निन्दनीय है

1. ब्रह्म विवाह - कन्या के वयस्क होने पर उनके माता-पिता योग्य वर खोजकर, उससे अपनी कन्या का विवाह करते थे
2. दैव विवाह - यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ कन्या का विवाह किया जाता था।
3. आर्ष विवाह - कन्या के पिता द्वारा यज्ञ कार्य हेतु एक या दो गाय या अपनी कन्या का विवाह करते थे।
4. प्रजापत्य विवाह - वर स्वयं कन्या के पिता से कन्या माँग कर विवाह करता था।

निन्दनीय विवाह

1. आसुर विवाह - कन्या के पिता द्वारा धन के बदले में कन्या का विक्रय।
2. गन्धर्व विवाह - कन्या तथा पुरुष प्रेम अथवा कामुकता के वशीभूत होकर विवाह करना।
3. पैशाच विवाह - सोई हुई या विक्षिप्त कन्या के साथ सहवास कर विवाह करना।
4. राक्षस विवाह - बलपूर्वक कन्या को अपहरण कर उससे विवाह।

आज हमारे समाज में इनका ही अनुसरण कर विवाह सम्पन्न किया जाता है अच्छे समाज के निर्माण में प्रथम चार विवाह को अपनाया जाता है मगर ब्लातकार, रेप, अपहरण कर कन्या से जबर्दस्ती ब्याह भी समाज में देखने को मिल रहा है जो कि विनाशकारी विवाह का रूप है इससे हमें बचना चाहिए

समाप्त